

四

दो एस्ट एस्ट सच्च  
प्रमुख सचिव  
चरत्तरात्तम्ब राजसन।

三

प्रमुख अमियन्ता एवं विभागाधक्  
तोक निर्मल विकास्  
चतुरश्चष्ट, देहरादून।

होड निर्माण अनुसार-2

**विषय :-** लोक निर्णायक विभाग में कार्यों के सम्बद्ध सम्बन्धन एवं युग्मता निर्वाचन छेद निविदा प्रणाली में संशोधन।

三

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2611 / 11(2) / 07-78(सालान्वय) / 2005, दिनांक 26 अक्टूबर 2007 एवं तदोषत्तु संगत अम्ब निर्गत शासनादेशी का संदर्भ प्रहरण करने का कह मार्ग दिया जाना चाहिए। लोक निर्वाचन विधाय के व्यवस्थाएँ निविदा प्रक्रिया के बन्दरीत व्यवस्थाएँ अधिक सहभागिता के माध्यम से हमता संवर्धन, बन्दरीत, व्यवस्थाएँ एवं युवावता सुनिवित करने के लिए प्रचलित निविदा प्रणाली के कठियप्रक्रियान्वय में निम्नवृ संशोधन किए जाने की श्री राज्यमान संहोदय सुरक्षा स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) चयनित बोर्ड (Selection Board) की व्यवस्था :

अपरिहार्य परिस्थितियों में स्वप्न के अधिकासी अनियन्ता पूर्व निर्यत सीमा ₹ 10.00 लाख तक तक्षण पर ₹ 15.00 लाख लागत तक के कार्य हेतु चयनित बनवान्य कर सकते।

१०४ शिविर की सीमा

ई-निविदा एवं दो-बिड सिस्टम (E-Tendering & Two Bid System) के अनुसार निविदा ₹ 1.50 करोड़ से अधिक लागत के व्यायों के सम्बन्ध में ही की जाएगी।

(c) वार्ता ओवर (Turn Over) देते करनार्थः

निविदावस्तु का टन जोकर, निविदा से सम्बन्धित कार्य की लाभता का ५० प्रतिशत होना अनिवार्य होगा।

(५) कार्यालय हेतु नामदण्ड :

निविदादाता द्वारा दिग्गत 5 वर्ष के दौरान किसी एक वर्ष में, दो या स्थीर निविदा की संख्या के 25 प्रतिशत तक के कार्य को पूर्ण करने का अनुच्छेद होना आवश्यक हैगत।

(5) एक से जटिक कार्यों के पैकेज (Package) बनाया जाना :

यदि आवश्यक हो तो एक से अधिक कार्यों के पैकेज बनाने हेतु उत्तराने ही कार्य तिक जादी जिनकी कुल लागत  $₹$  1.50 करोड़ से अधिक हो।  $₹$  1.50 करोड़ से अधिक लागत के रेस कार्यों, जिनकी ई-निविदा एवं ट्रू बिट तिस्टम में निविदा होनी आवश्यक है, को मिलाकर पैकेज अपरिहर्य परिस्थितियों में बनाया जायेगा। पैकेज बनाने वा न बनाने का निर्णय सम्बन्धित अधिकारी अधिकार्ता द्वारा कार्यहित को दृष्टिगत स्फूटे हुए विवेकपूर्व तरीक से लिया जायेगा।

(6) ठेकेदारों का वर्गीकरण एवं पंजीकरण :

तेकेटाने लो निम्न श्रेणियों में दर्शकृद रूप संवीकृत करने की कार्यक्रमी को जारी

(अ) श्रेणी-ए : ठेकेदार किसी भी सीमा तक के कार्य के तिरंनिविदा देने के लिए उठन होंगे।

(ब) श्रेणी-बी : रेकेंदार ₹ 200 करोड़ से अनधिक सीमा तक के कार्य के लिए नियमित देने के लिए सहम होये।

- (c) श्रेणी सी : ठेकेदार ₹ 100 करोड़ से अनधिक सीमा तक के कार्य के लिए निविदा देने के लिए रासम होंगे।  
 (d) श्रेणी-डी : ठेकेदार ₹ 50.00 लाख से अनधिक सीमा तक के कार्य के लिए निविदा देने के लिए रासम होंगे।
- (7) कार्य की निविदा में भाग-१ व भाग-२ के कार्यों का गिन-गिन अनुभव ; ₹ 1.50 करोड़ तक की सीमा के कार्यों के लिए अनुभव प्राप्ति-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी और ₹ 1.50 करोड़ से अधिक लागत के कार्यों की निविदा में भी भाग-१ व भाग-२ के कार्यों का गिन-गिन अनुभव होना आवश्यक होगा।
- (8) परफारमेंस सिक्योरिटी (Performance Security) : ₹ 1.50 करोड़ तक के कार्य हेतु 2 प्रतिशत परफारमेंस सिक्योरिटी तथा ₹ 1.50 करोड़ से अधिक लागत के कार्य हेतु पूर्ववत् 5 प्रतिशत परफारमेंस सिक्योरिटी की जायेगी तथा अवशेष सिक्योरिटी मरी चालू देने को से रामायोजित की जायेगी।
3. उक्त आदेश वार्तालिक प्रधान से लागू होंगे। विषयगत पूर्व निर्गत शासनाधिकारों के संगत प्राविधान उक्त सीमा तक संशोधित रामबी जायेगे और ऐसा प्राविधान पूर्ववत् लागू रहेंगे। अतः कृपया उपरोक्त संशोधनों को समस्त आधिकारियों के संदर्भ में लाते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,  
 (२१)  
 (अ. एस.एस.सन्दु)  
 प्रमुख सचिव।

संख्या : //९८//११(२)/०७-८५(रामान्य)/२०००, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालयी हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य राधिय महोदय के रांझानार्थ।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव, वित्त के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव एवं बन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त, उत्तराखण्डशासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. महालेखाकार (लेखा एवं रक्कदारी), ओषधीय पोटर्स विलिंग, माघरा, देहरादून।
7. आयुक्त, गढ़वाल / कुमार्यू पाण्डल, पौड़ी / नैनीताल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एकीकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय (राईबर ट्रेजरी), 23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
10. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. वित्त अनुभाग-२/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
12. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. लोक निर्माण अनुभाग-१,२,३, उत्तराखण्ड शासन।

आशा रो,

(अरविन्द सिंह हर्योकी)  
 अपर सचिव, त्रोनिति

३० अगस्त

State Commission  
 Mahendra Singh Rawat  
 Advocate